

उपखण्ड अधिकारी, बाली

15<sup>01</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। बकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवाजे लगाई जाने के बावजूद प्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली